

[2023] 12 एस. सी. आर 1083:2023 आई. एन. एस. सी. 698

मुकदमों का विवरण

डिंगंगलुंग गैंगमेई बनाम।

मुतम चुरमानी बैठक और ओआरएस

(2023 की विशेष अवकाश याचिका (सिविल) डायरी संख्या 19206) 07 अगस्त, 2023

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश, जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए मुद्दा:मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा और कलह-महिलाओं के खिलाफ हिंसा।

निर्देश-मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा और दंगे-दो व्यापक उद्देश्य जिन्हें निर्देश को कम करना चाहिए:

आयोजित किया गया:सबसे पहले, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हिंसा बंद हो, हिंसा के अपराधियों को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार दंडित किया जाए, और इसके परिणामस्वरूप, न्याय प्रणाली में समुदाय का विश्वास और विश्वास बहाल हो-दूसरा, यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि कानून का शासन बहाल हो और जांच और अभियोजन प्रक्रिया में सार्वजनिक विश्वास बना रहे।[पैरा 19]

निर्देश-मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा और दंगे-महिलाओं के खिलाफ हिंसा-समिति का गठन और समिति का अधिदेश:

आयोजित किया गया:उच्च न्यायालय की तीन पूर्व महिला न्यायाधीशों से बनी एक समिति का गठन-(i) सभी उपलब्ध स्रोतों से मणिपुर राज्य में महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा की प्रकृति की जांच करना; (ii) बलात्कार के आघात से निपटने के उपायों सहित जीवित बचे लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदमों पर अदालत को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना; (iii) यह सुनिश्चित करना कि जीवित बचे लोगों को मुफ्त और व्यापक चिकित्सा सहायता और मनोवैज्ञानिक देखभाल प्रदान की जाए; (iv) अतिरिक्त शिविरों के सुझावों सहित विस्थापित व्यक्तियों के लिए स्थापित राहत शिविरों में गरिमा की स्थिति सुनिश्चित करना; (v) हिंसा पीड़ितों को मुआवजे और क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करना; (vi) नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्देश जारी करना।

1083

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

किसी भी जांच, लापता व्यक्तियों और शवों की बरामदगी के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइंस।[पैरा 20]

निर्देश-मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा और दंगे-मुआवजे के वितरण की जांच करने और आवश्यक कदम उठाने के लिए नियुक्त तीन न्यायाधीशों की समिति:

आयोजित किया गया:न्यायालय(न्यायालयकन्यायालय)न्यायालय
न्यायालयमन्यायालयणन्यायालयिन्यायालयपन्यायालयुन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयरन्यायालयान्यायालयजन्यायालयन्यायालययन्यायालय
न्यायालयवन्यायालयिन्यायालयधन्यायालयिन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयेन्यायालयवन्यायालयान्यायालय
न्यायालयपन्यायालयन्यायालयरन्यायालयान्यायालयधन्यायालयिन्यायालयकन्यायालयरन्यायालय
णन्यायालय न्यायालयकन्यायालयोन्यायालय न्यायालयदन्यायालयन्यायालयडन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयन्यायालयरन्यायालयकन्यायालयन्यायालयरन्यायालयिन्यायालययन्यायालया
न्यायालय न्यायालयसन्यायालयन्यायालयहन्यायालयिन्यायालयतन्यायालयान्यायालय
न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय न्यायालयधन्यायालयान्यायालयरन्यायालयान्यायालय
न्यायालय 3 न्यायालय 5 न्यायालय 7 न्यायालयएन्यायालय,न्यायालय
न्यायालययन्यायालयौन्यायालयनन्यायालय
न्यायालयहन्यायालयमन्यायालयलन्यायालयेन्यायालय/न्यायालयअन्यायालयनन्यायालयन्यायालय
यन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयपन्यायालयरन्यायालयान्यायालयधन्यायालयोन्यायालयन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयीन्यायालयडन्यायालयन्यायालयिन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयहन्यायालयिन्यायालयलन्यायालयान्यायालयओन्यायालयन्यायालय/
न्यायालयजन्यायालयीन्यायालयवन्यायालयिन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयबन्यायालयचन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयलन्यायालयोन्यायालयगन्यायालयोन्यायालयन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयलन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय
न्यायालयनन्यायालयान्यायालयलन्यायालयसन्यायालयान्यायालय
न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयन्यायालयषन्यायालयतन्यायालयिन्यायालयपन्यायालयून्यायालयरन्यायालयन्
यायालयतन्यायालयिन्यायालय
न्यायालययन्यायालयोन्यायालयजन्यायालयनन्यायालयान्यायालय
न्यायालय 2 न्यायालय 0 न्यायालय 1 न्यायालय 8 न्यायालय न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयणन्यायालयिन्यायालयपन्यायालयुन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयीन्यायालयडन्यायालयन्यायालयिन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयुन्यायालयअन्यायालयवन्यायालयजन्यायालयान्यायालय
न्यायालययन्यायालयोन्यायालयजन्यायालयनन्यायालयान्यायालय

[illegible]

न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय न्यायालयजन्यायालयिन्यायालयनन्यायालय
न्यायालयवन्यायालयन्यायालययन्यायालयकन्यायालयन्यायालयतन्यायालयिन्यायालययन्यायालय
ोन्यायालयन्यायालय न्यायालयकन्यायालयोन्यायालय
न्यायालयभन्यायालयुन्यायालयगन्यायालयतन्यायालयान्यायालयनन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयिन्यायालययन्यायालयान्यायालय
न्यायालयगन्यायालययन्यायालयान्यायालय न्यायालयथन्यायालयान्यायालय,न्यायालय
न्यायालयउन्यायालयनन्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयून्यायालयरन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयवन्यायालयिन्यायालयवन्यायालयरन्यायालयणन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयसन्यायालयान्यायालयथन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयनन्यायालयुन्यायालयपन्यायालयान्यायालयलन्यायालयनन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय न्यायालयएन्यायालयकन्यायालय
न्यायालयरन्यायालयिन्यायालयपन्यायालयोन्यायालयरन्यायालयन्यायालयटन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयन्यायालयरन्यायालयसन्यायालयन्यायालयतन्यायालयुन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय न्यायालयजन्यायालयान्यायालयनन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयचन्यायालयान्यायालयहन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय;न्यायालय
न्यायालय(न्यायालयघन्यायालय)न्यायालय
न्यायालयसन्यायालयदन्यायालयसन्यायालयन्यायालययन्यायालय-
न्यायालयसन्यायालयचन्यायालयिन्यायालयवन्यायालय
न्यायालयनन्यायालयान्यायालयलन्यायालयसन्यायालयान्यायालय
न्यायालयतन्यायालयीन्यायालयनन्यायालय-
न्यायालयनन्यायालयन्यायालययन्यायालयान्यायालययन्यायालयान्यायालयधन्यायालयीन्यायालय
शन्यायालय न्यायालयसन्यायालयमन्यायालयिन्यायालयतन्यायालयिन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयसन्यायालयान्यायालयथन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयिन्यायालयलन्यायालयकन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयइन्यायालयसन्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयलन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय न्यायालयकन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय
न्यायालयगन्यायालयएन्यायालय
न्यायालयउन्यायालयपन्यायालयान्यायालययन्यायालयोन्यायालयन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयनन्यायालयिन्यायालयगन्यायालयरन्यायालयान्यायालयनन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयरन्यायालयेन्यायालयन्यायालयगन्यायालयेन्यायालय।न्यायालय[पैरा 21]

निर्देश-मणिपुर राज्य और केंद्र सरकार ने संकेत दिया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों से जुड़ी ग्यारह प्राथमिकियां हैं-सीबीआई को संदर्भित समान प्रकृति की प्राथमिकियां-जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, निर्देश जारी किए जाते हैं:

आयोजित किया गया: (क) महाराष्ट्र के एक पूर्व पुलिस महानिदेशक को सी. बी. आई. द्वारा हस्तांतरित प्राथमिकियों की जांच और शेष प्राथमिकियों में राज्य के जांच तंत्र द्वारा जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है; (ख) सी. बी. आई. को हस्तांतरित की गई प्राथमिकियों की उचित जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, केंद्रीय गृह मंत्रालय राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली के एन. सी. टी. राज्यों से लिए गए कम से कम पुलिस उपाधीक्षक के पद के सी. बी. आई. अधिकारियों को नियुक्त करेगा-इनमें से कम से कम एक अधिकारी महिला होगी-नियुक्त पूर्व पुलिस महानिदेशक 1085

डिंगलिंग गांगमेई बनाम मुतम चुरमानी मीतेई और ओआरएस 1086

इन आरोपों की भी जांच करना कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने मणिपुर में संघर्ष के दौरान हिंसा (यौन हिंसा सहित) के अपराधियों के साथ सांठगांठ की थी।[पैरा 25]

निर्देश-मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा और दंगे-मणिपुर राज्य ने संकेत दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि एफ. आई. आर. की जांच समयबद्ध तरीके से की जाए, एस. आई. टी. का गठन किया जाएगा:

आयोजित किया गया: (क) उन मामलों में जहां एफ. आई. आर. यौन अपराध (बलात्कार, महिला की शील भंग करना, आदि) से संबंधित है। किसी भी अन्य अपराध (हत्या, गंभीर चोट आदि) के अलावा।), एस. आई. टी. जिसमें महिला अधिकारी (मणिपुर राज्य द्वारा वर्णित निरीक्षक/उप-निरीक्षक/पी. सी.) शामिल हैं, पूरी जांच का प्रभारी होगा; (बी) एस. आई. टी. उसे सौंपे गए क्षेत्र के भीतर प्रत्येक राहत शिविर का दौरा करेगी और यह बताएगी कि यह एक निष्पक्ष निकाय है जो हिंसा (यौन हिंसा सहित) की शिकायतों को स्वीकार कर रहा है-यह आवश्यक है क्योंकि कई जीवित बचे/पीड़ित अपनी मर्जी से पुलिस तंत्र से संपर्क नहीं कर सकते हैं, विशेष रूप से सांप्रदायिक हिंसा के बाद; (सी) जहां यौन अपराधों की जांच की जा रही है, एस. आई. टी. महिलाओं के पुनः आघात को रोकने के उद्देश्य से न्यायालय के सभी निर्देशों का पालन करेगी, जिसमें धारा 161 (3) सी. आर. पी. सी. का दूसरा परंतुक भी शामिल है।[पैरा 27]

निर्देश-मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा और दंगे-न्यायालय द्वारा नामित अधिकारी, जांच की निगरानी के दौरान, सभी उचित निर्देश जारी करेगा, जिनमें शामिल हैं:

आयोजित किया गया: (क) जाँच के दौरान योग्य कानूनी सहायता प्रदान करना; (ख) जाँच को समयबद्ध बनाना; (ग) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और धारा 164 के तहत बयानों की समय पर रिकॉर्डिंग जिसमें उचित प्रावधान भी शामिल हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

यदि आवश्यक हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या स्वचालित प्रतिलेखन के माध्यम से कमजोर गवाहों के साक्ष्य को दर्ज करने के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के तहत सहायक व्यक्तियों/सुविधा प्रदाताओं का समर्थन करना; (घ) जांच के दौरान पीड़ितों को कानूनी सहायता परामर्श का प्रावधान करना; और (ङ) जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री की गोपनीयता बनाए रखना और इस न्यायालय को प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट में यौन हिंसा के पीड़ितों/बच्चे लोगों की गुमनामी का रखरखाव करना।[पैरा 28]

निर्देश-मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा और दंगे-भारत संघ और मणिपुर राज्य ने निर्देश दिया:

आयोजित किया गया:(क) यह सुनिश्चित करना कि सांप्रदायिक हिंसा और दंगों की चपेट में आने वाले सभी क्षेत्रों की पहचान की जाए और उनकी निगरानी की जाए ताकि निवारक उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके; (ख) एस. आई. टी. के गठन और इस न्यायालय द्वारा मणिपुर के सभी गांवों, कस्बों और जिलों के साथ-साथ मणिपुर के सभी निवासियों के लिए समझ में आने वाली भाषा में स्थापित किए गए प्रत्येक राहत शिविर में तीन-न्यायाधीशों की समिति के गठन के बारे में जानकारी का प्रसार और व्यापक रूप से प्रचार करें; (ग) राज्य के हथियारों से गायब या लूटे गए हथियारों की संख्या का जायजा लें और इनमें से, बरामद किए गए हथियारों की संख्या-किसी भी लापता हथियार को बरामद करने के लिए एक योजना तैयार करें और लागू करें।[पैरा 29]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

ज़ोमी छात्र संघ बनाम भारत संघ डब्ल्यू. पी. (सी) 2023 का सं. 572;

निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ (2019) 2 एस. सी. सी. 703:[2018] 14 एससीआर 755; एक्सवाईजेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2022 आईएनएससी 799-संदर्भित।

संयुक्त राष्ट्र, महासभा, संकल्प 60/147, 'बुनियादी'

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के सकल उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघन के पीड़ितों के लिए उपचार और क्षतिपूर्ति के अधिकार पर सिद्धांत और दिशानिर्देश।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

असाधारण अपील/मूल न्यायनिर्णय:2023 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी No.19206।

इंफाल में मणिपुर उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 27.03.2023 से WP (C) No.229 2023] 1087

डिंगलुंग गंगमेई बनाम मुतम चुरमानी बैठक 1088

के साथ

2023 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी No.19210,2023 की रिट याचिका (सिविल) Nos.540,576,572,574,2023 की रिट याचिका (आपराधिक) Nos.321,327,329 और 2023 की रिट याचिका (सिविल) No.802

रूप:

आर. वेंकटरमानी, अटॉर्नी जनरल, तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, हिजाम लेनिन सिंह, ए. ए. जी., कॉलिन गोंजाल्विस, सुश्री हेटवी पटेल, जयदीप गुप्ता, सपम विश्वजीत मेइतेई, रंजीत कुमार, आनंद ग्रोवर, सुश्री इंदिरा जयसिंह, संजय आर. हेगड़े, गोपाल शंकरनारायणन, वरिष्ठ अधिवक्तागण, निजाम पाशा, लज़ाफीर अहमद बी. एफ., सुश्री चेरिल डी सूज़ा, सुश्री सुरुर मंदर, सिद्धार्थ कौशिक, शिवेंद्र पांडे, सुश्री आयुषी मिश्रा, सुश्री हेटवी पटेल, सुश्री अलाना गोलमेई, सैमुअल खोबंग, नायब गौहर, कामेई काउलियांगपोउ, सुश्री जॉसी, सत्य मित्रा, सुश्री वृन्दा ग्रोवर, सुश्री देविका तुलसीनी, सुश्री मन्नत टिपनिस, सौतिक बनर्जी, सुश्री आकृति चौबे, अधिवक्तागण सिंह, अहंतेम हेनरी, अहंतेम रोहेन सिंह, डेविड अहोंगसंगबाम, विवेक कुमार, मोहन सिंह, सुश्री राजकुमारी बंजू। उपस्थित दलों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश

1. मणिपुर राज्य मई 2023 के पहले सप्ताह से सांप्रदायिक संघर्ष से घिरा हुआ है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

2. 27 मार्च 2023 को, मणिपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने संविधान 1 के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका में मणिपुर सरकार को निर्देश जारी किए कि वह केंद्र सरकार में जनजातीय कार्य मंत्रालय के 29 मई 2013 के एक संचार का जवाब देने के लिए मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की राष्ट्रपति सूची में शामिल करने की सिफारिश करे। समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश पर निर्धारित समय सीमा के भीतर तेजी से विचार करने का निर्देश दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को मुख्य रूप से इस आधार पर उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए लागू किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय किसी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकता है। विशेष अनुमति याचिका में दलीलें इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि 'विवादित आदेश के बाद मणिपुर जल रहा है।'

3. 8 मई 2023 को केंद्र सरकार ने इस न्यायालय को सूचित किया कि मणिपुर राज्य इस संबंध में सक्षम मंच का रुख करके 27 मार्च 2023 के उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के

आदेश को वापस लेने के लिए उचित कदम उठा रहा है।' केंद्र सरकार ने रिकॉर्ड पर एक बयान दिया जिसमें संकेत दिया गया कि सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे:“(क) मणिपुर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 52 कंपनियां और सेना/असम रिफिल की 105 टुकड़ियों को तैनात किया गया है।

(ख) अशांत क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किए गए हैं; (ग) राज्य सरकार द्वारा एक वरिष्ठ स्तर के पूर्व पुलिस अधिकारी को सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी को कल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से मणिपुर सरकार के मुख्य सचिव के रूप में सेवा करने के लिए वापस भेज दिया गया है; (घ) शांति बैठकें आयोजित की गई हैं और सतर्कता बनाए रखी जा रही है।

(ई) सुरक्षा बलों की व्यापक तैनाती के अलावा स्थिति की निगरानी के लिए हेलीकॉप्टरों और ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है।

1 2023 की डब्ल्यूपी (सी) संख्या 229,1089

डिंगलुंग गंगमेई बनाम मुतम चुरमानी मीतेई [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1090

(च) विस्थापित व्यक्तियों के लिए राहत शिविर खोले गए हैं जहां राशन और चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है; और

(छ) फंसे हुए लोगों की आवाजाही को सुरक्षा बलों के माध्यम से सुगम बनाया जा रहा है।”

इस न्यायालय के समक्ष एक बयान दिया गया था कि "अपनाए गए उपायों के परिणामस्वरूप, पिछले दो दिनों के दौरान राज्य में कोई हिंसा दर्ज नहीं की गई थी और स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है।” चुनाव लड़ने वाले दलों के वकील ने कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और राहत और पुनर्वास प्रदान करने की आवश्यकता पर चिंता व्यक्त की थी। इस न्यायालय ने सतर्कता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि मानव जीवन के नुकसान और घरों और पूजा स्थलों के विनाश को ध्यान में रखते हुए हिंसा की पुनरावृत्ति न हो। इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

“7. मानव जीवन के नुकसान और घरों और पूजा स्थलों के विनाश पर न्यायालय की चिंता व्यक्त करते हुए, हम निम्नलिखित की आवश्यकता पर जोर देते हैं:

(i) यह सुनिश्चित करना कि राहत शिविरों में भोजन और चिकित्सा देखभाल के संदर्भ में सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके उचित व्यवस्था की जाए।

((ख) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतें; और

((ग) धार्मिक पूजा स्थलों की रक्षा करना।”

इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि जहां राहत शिविरों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए गंभीर चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, अधिकारी सेना के अस्पतालों या अन्य चिकित्सा प्रतिष्ठानों में चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था करेंगे। राहत और पुनर्वास उपायों के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में मणिपुर राज्य से एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट बुलाई गई थी।

4. जब 17 मई 2023 को अगली कार्यवाही शुरू की गई, तो मणिपुर राज्य के नेतृत्व में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें कहा गया था:

ए। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए उठाए गए कदम;
बी। खोले गए राहत शिविरों का विवरण;

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

ग. मृत्यु या, जैसा भी मामला हो, चोट के कारण उपलब्ध कराए गए मुआवजे के पैकेज;

घ. धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए किए गए सुरक्षा उपाय;

ई. चल रहे संकट के कारण फंसे हुए व्यक्तियों का परिवहन; और

च. एफ. आई. आर. दर्ज करना और हथियारों की बरामदगी।”

5. उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देश को चुनौती देने के अलावा, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाओं का एक समूह इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था। उन याचिकाओं में से एक में, याचिकाकर्ताओं द्वारा सुरक्षा के लिए खतरों के बारे में 2 आशंकाएं व्यक्त की गई थीं। याचिकाकर्ताओं ने कुछ संवेदनशील गांवों के संदर्भ में विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्देश देने की मांग की। इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि इन आशंकाओं को राज्य में कानून और व्यवस्था की निगरानी के लिए सौंपे गए अधिकारियों द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। मुख्य सचिव और सुरक्षा सलाहकार को निर्देश दिया गया कि वे उचित सत्यापन के बाद शिकायतों पर तुरंत ध्यान दें और ऐसे उपाय करें जो सौहार्द बढ़ाने और शांति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा अन्य याचिकाओं में व्यक्त की गई आशंकाओं को भी कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा ध्यान में रखने का निर्देश दिया गया था। इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही 20 जून, 3 जुलाई और 10 जुलाई 2023 को सूचीबद्ध की गई थी। यह देखते हुए कि मुख्य सचिव ने एक स्थिति रिपोर्ट का नेतृत्व किया था, इस न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले दलों को स्थिति में सुधार के लिए मणिपुर राज्य और भारत संघ को ठोस सुझाव देने की अनुमति दी। 11 जुलाई 2023 को, जोमी छात्रों में याचिकाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ तैयार की गईं

संघ बनाम भारत संघ:3

“1. जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान मुर्दाघर, इम्फाल सहित पूरे इम्फाल के अस्पतालों में कई शवगृहों में कई शव बिना पहचान के और लावारिस पड़े होने की सूचना है। जिन व्यक्तियों के लापता होने और मरने की आशंका है, उनके परिवार इन शवगृहों तक पहुंचने में असमर्थ हैं। राज्य एक अधिकारी नामित कर सकता है जिससे संपर्क किया जा सकता है और जिसे

2 2023 का डब्ल्यूपी (सी) संख्या 540 2023 का 3 डब्ल्यूपी (सी) संख्या 572 1091

डिंगंगलुंग गंगमेई बनाम मुतम चुरमानी मीतेई [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1092

ऐसे परिवारों द्वारा अनुरक्षण/सुरक्षा के तहत मुर्दाघरों में जाने की सुविधा प्रदान करेगा और अंतिम संस्कार के लिए शवों की पहचान करने और उन्हें सौंपने की प्रक्रिया को सक्षम बनाएगा।

2. पहाड़ी जिलों के जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए गए डॉक्टर (स्थिति रिपोर्ट का पैरा 22.4 देखें-अनुलग्नक 'ए') और जिनका वादा माननीय गृह मंत्री ने किया था (पी. आई. बी. अधिसूचना दिनांक देखें। 01.06.2023 - अनुलग्नक 'बी') इस कमी को दूर करने के लिए पहाड़ी जिलों के जिला अस्पतालों में भेजा जा सकता है।

3. पहाड़ी जिलों के जिला अस्पतालों में आवश्यक दवाओं, डायलिसिस मशीनों, सी. टी. स्कैन मशीनों की कमी है, जिनका समाधान किया जाना चाहिए।

4. चुराचांदपुर मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल (जे. एन. आई. एम. एस.) में कक्षाओं में भाग लेने की व्यवस्था की गई है (अधिसूचना संलग्न देखें-अनुलग्नक 'सी')। इसी तरह की व्यवस्था जे. एन. आई. एम. एस., क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल (आर. आई. एम. एस.) और इम्फाल के अन्य आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के चिकित्सा छात्रों के लिए राज्य के बाहर इसी तरह के अन्य संस्थानों में कक्षाओं में भाग लेने के लिए की जा सकती है (उदाहरण के लिए आर. आई. एम. एस., इम्फाल द्वारा भारत संघ को भेजा गया प्रस्ताव-अनुलग्नक 'डी' देखें)।

5. मणिपुर विश्वविद्यालय ने अपने सभी संबद्ध कॉलेजों में परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है (स्थिति रिपोर्ट का पैरा 14 देखें)। इन परीक्षाओं को स्थगित करने की आवश्यकता है क्योंकि पहाड़ी जिलों के स्कूलों और कॉलेजों को राहत शिविरों में बदल दिया गया है और बड़ी संख्या में छात्रों और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

6. चूड़ाचांदपुर, कांगपोकपी और तेंगनौपाल और इम्फाल के बीच हेली कॉप्टर से सेवाओं को लागू किया गया है (स्थिति रिपोर्ट का पैरा 22.3 देखें)। इस तरह की सेवाओं की वास्तव में चुराचांदपुर, कांगपोकपी और तेंगनौपाल और आइजोल, गुवाहाटी और दीमापुर के बीच आवश्यकता है क्योंकि पहाड़ी जिलों के आदिवासी अभी भी हवाई अड्डे का उपयोग करने के लिए इम्फाल आने से डरते हैं।

[2023] 12 एस सी आर।

7. जियो और वोडाफोन सेल्युलर सेवाएँ पिछले कई हफ्तों से राज्य में काम नहीं कर रही हैं और इन्हें बहाल करने की आवश्यकता है। 8. राज्य सरकार ने 26 जून 2023 को एक परिपत्र जारी किया है (अनुबंध 'ई' देखें) जिसमें सभी सरकारी कर्मचारियों को तुरंत काम पर आने के लिए कहा गया है और ऐसा करने में विफल रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी दी गई है। इस परिपत्र को वापस लिया जा सकता है क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने या तो राज्य का दौरा किया है या वे राहत शिविरों में रह रहे हैं।

9. चुराचांदपुर में 105, कांगपोकपी में 56, चंदेल में 10 और तेंगनौपाल में 15 राहत शिविर सामुदायिक स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन राहत शिविरों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों के लिए पीने के पानी, भोजन, स्वच्छता, आश्रय और बिस्तर की भारी कमी है। याची को इन शिविरों में तत्काल आवश्यक वस्तुओं की सूची प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए और उत्तरदाता राज्य/केंद्र सरकार को इन वस्तुओं की जल्द से जल्द आपूर्ति करने का निर्देश दिया जाए।

10. इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश जारी किया जाए कि कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2023) 4 एस. सी. सी. 1 के मामले में इस माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किसी विशेष समुदाय पर निर्देशित उकसाने वाली या उत्तेजक टिप्पणी करने से आधिकारिक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा उचित प्रतिबंध का प्रयोग किया जाए।

11. माननीय गृह मंत्री ने सभी समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद संकेत दिया था कि सुरक्षा सलाहकार श्री कुलदिप सिंह की अध्यक्षता में एक अंतर-एजेंसी एकीकृत कमान की स्थापना की जाएगी। 01.06.2023 - अनुलग्नक बी)। हालांकि, अद्यतन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, एकीकृत कमान केंद्र की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री कर रहे हैं (स्थिति रिपोर्ट का पैराग्राफ 6 देखें-अनुलग्नक ए) जो केंद्र सरकार की घोषित स्थिति के विपरीत है। इसे ठीक करने की आवश्यकता है ताकि किए जा रहे उपायों की तटस्थता में विश्वास पैदा किया जा सके।

1093

डिंगंगलुंग गंगमेई बनाम मुतम चुरमानी मीतेई [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1094

12. पुलिस शस्त्रागारों से लूटे गए हथियारों की संख्या, बरामद किए गए ऐसे हथियारों की संख्या और शेष हथियारों की बरामदगी के लिए किए जा रहे उपायों पर एक स्थिति रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए।

13. इस माननीय न्यायालय के कार्य को आसान बनाने के लिए, बचाव, राहत और पुनर्वास उपायों की देखरेख करने और उनसे संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए दोनों

प्रभावित समुदायों के प्रतिनिधियों वाली एक समिति नियुक्त की जाए, जिसकी अध्यक्षता इस माननीय न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। यह तटस्थता सुनिश्चित करेगा और राहत और पुनर्वास उपायों की निष्पक्षता में विश्वास पैदा करेगा। वर्तमान में राहत और पुनर्वास उपायों की देखरेख के लिए सरकार द्वारा नियुक्त मंत्रियों और विधायकों की टीमों में सात (7) जिलों के प्रभारी सात टीमों में 35 विधायक (60 विधायकों वाली विधानसभा से) शामिल हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से जोकुकी जनजातियों का एक भी विधायक शामिल नहीं है, जो किए जा रहे उपायों की तटस्थता में जनता के विश्वास को नुकसान पहुंचाता है (5 जुलाई, 2023 का परिपत्र देखें- अनुलग्नक 'एफ')।”

6. उपरोक्त अधिकांश सुझावों को लागू करने के लिए निर्देश जारी करते हुए (उपरोक्त धारावाहिक 5, 6, 7 और 13 को छोड़कर), इस न्यायालय ने 14 जुलाई 2023 तक सकारात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया। क्रम संख्या 13 में दिए गए सुझाव के संबंध में, न्यायालय ने उल्लेख किया कि मणिपुर में स्थिति से विस्थापित आवास व्यक्तियों के लिए स्थापित राहत शिविरों के पर्यवेक्षण और प्रबंधन की देखरेख के लिए सात जिलों में समितियों का गठन करने वाली मणिपुर सरकार द्वारा 5 जुलाई 2023 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। सांप्रदायिक संघर्ष के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के पहलू पर, इस न्यायालय ने कहा:

“4 मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली बनाम मणिपुर राज्य और एक अन्य मामले में इस न्यायालय के समक्ष दिए गए सुझावों में, इस स्तर पर, हमारा विचार है कि निम्नलिखित सुझाव राज्य प्रशासन द्वारा विचार किए जाने योग्य होंगे, अर्थात्:

“राज्य को तुरंत 3 महीने के भीतर शुरू करने और पूरा करने का निर्देश दें (ए) प्रत्येक आदिवासी के लिए 10 लाख का अंतरिम भुगतान।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

गृह मंत्री द्वारा आश्वासन के अनुसार मारे गए, (मारे गए 118 आदिवासियों की सूची देखें (ए. एफ. एफ. जोड़ें। 8.7.23), (ख) राज्य द्वारा नष्ट किए गए 141 आदिवासी गाँवों का पुनर्निर्माण (पृ. 41 आई. ए. 115711), और 227 चर्चों को नष्ट कर दिया गया (pg. 26) और आगे सुरक्षा प्रदान करने के लिए ताकि आदिवासी वापस आ सकें।”

5

राज्य प्रशासन विचारपूर्वक विचार करेगा।

पीड़ित परिवारों को मुआवजे का वितरण और गाँवों और धार्मिक पूजा स्थलों के पुनर्निर्माण के लिए जिन्होंने राज्य में हाल की हिंसा की घटनाओं में विनाश किया है।”

7. सुरक्षा व्यवस्था के बारे में मणिपुर राज्य के मुख्य सचिव ने एक बैठक का नेतृत्व किया जिसमें उठाए गए कदमों का संकेत दिया गया। इस न्यायालय ने केंद्र सरकार और मणिपुर राज्य को मणिपुर राज्य के सभी नागरिकों और निवासियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

8. 20 जुलाई 2023 को, इस न्यायालय द्वारा मणिपुर में महिलाओं पर यौन उत्पीड़न और हिंसा के अपराध को दर्शाने वाले पिछले दिन मीडिया में सामने आए दृश्यों के जवाब में कार्यवाही की गई थी। यह देखते हुए कि यह दृश्यों से बहुत परेशान था, इस न्यायालय ने कहा कि मीडिया में जो चित्रित किया गया था वह घोर संवैधानिक उल्लंघन और मानवाधिकारों के उल्लंघन का संकेत देता है। इस न्यायालय ने कहा कि "हिंसा को अंजाम देने के लिए महिलाओं का उपयोग करना संवैधानिक लोकतंत्र में अस्वीकार्य है।" न्यायालय ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का संकेत देने वाली रिपोर्ट मांगी (i) अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए; और (ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया गया-उपचारात्मक, पुनर्वास और निवारक-और इस न्यायालय को अगली तारीख तक की गई कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया गया।

9. 1 अगस्त 2023 को, इस न्यायालय को मणिपुर राज्य द्वारा अवगत कराया गया था कि 25 जुलाई 2023 तक 6,523 प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं। इसकी स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 3 मई 2023 और 9 जून 2023 के बीच 150 मौतें हुई थीं और 502 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना मिली थी। राज्य ने बताया कि आगजनी के 5,101 मामले थे; 252 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया 1095

डिंग्गलुंग गंगमेई बनाम मुतम चुरमानी मीतेई [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1096

एफ. आई. आर. के संबंध में और 12,740 निवारक गिरफ्तारियाँ की गईं। राज्य ने न्यायालय को सूचित किया कि 11 प्राथमिकियों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के मामले शामिल हैं, हालांकि यह आगे के सत्यापन के अधीन था। इन 11 प्राथमिकियों के संबंध में कथित तौर पर सात गिरफ्तारियां की गईं।

10. उस समय, न्यायालय को एक वकील द्वारा अवगत कराया गया था कि इसी शैली की एक और प्राथमिकी थी। केंद्र सरकार ने सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से इस न्यायालय को अवगत कराया कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को दर्शाने वाले भयावह दृश्यों के संदर्भ में दर्ज की गई दो प्राथमिकियां मणिपुर राज्य सभी 11 प्राथमिकियों को सी. बी. आई. को भेजने के लिए तैयार है। यह देखते हुए कि न्यायालय के समक्ष जो सामग्री का खुलासा किया गया था, वह अपर्याप्त थी, इस न्यायालय ने कहा कि 6,523 एफ. आई. आर. का कोई पृथक्करण नहीं किया गया था, जिसके आधार पर वे संबंधित थे। राज्य को इस कवायद को पूरा करने और न्यायालय को सूचित करने का निर्देश दिया गया था कि इनमें से कितनी प्राथमिकियां निम्नलिखित मामलों से संबंधित हैं: ((i) हत्या और/या बलात्कार और शील भंग करना; (ii) आगजनी और लूटपाट;

(iii) घर की संपत्ति और धार्मिक पूजा स्थलों को नष्ट करना; और (v) गंभीर चोट पहुंचाना। इस न्यायालय ने जांच की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त किया। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मई 2023 की शुरुआत में अपराधों की घटना और प्राथमिकी दर्ज करने और गवाहों के बयान दर्ज करने और गिरफ्तारी करने के बीच एक अस्पष्टीकृत देरी हुई है। इस न्यायालय ने, तदनुसार, एक सारणीबद्ध बयान का आह्वान किया जिसमें संकेत दिया गया था:

ए। प्रत्येक घटना की तारीख;

बी। शून्य एफ. आई. आर. के पंजीकरण की तारीख, यदि कोई हो; ग. नियमित एफ. आई. आर. दर्ज करने की तारीख;

घ. वे तिथियाँ जिन पर गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। ङ. वे तिथियाँ जिन पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164,4, यदि कोई हो, के तहत बयान दर्ज किए गए हैं; च. वे तिथियाँ जिन पर पीड़ितों की चिकित्सकीय जांच की गई थी; छ. वे तिथियाँ जिन पर गिरफ्तारी, यदि कोई हो, लागू की गई हैं; और ज। क्या शिकायत/एफ. आई. आर. में अभियुक्तों का नाम लिया गया है।

4 "सीआरपीसी "

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

11. मणिपुर राज्य के नेतृत्व में तैयार की गई स्थिति रिपोर्ट में 3 मई से 30 जुलाई 2023 के बीच दर्ज 6,523 प्राथमिकियों का पृथक्करण शामिल है। इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“6523 एफ. आई. आर. का विघटन (3 मई से 30 जुलाई 2023)

1. हत्या और/या बलात्कार और शील भंग करना:

	एस. एल. नो क्राइम	कानून की धारा (आई. पी. सी.)	मामलों की संख्या
((i))	हत्या	302/304 – हत्या	72
((ख))	बलात्कार	376/376 डी- बलात्कार/ सामूहिक बलात्कार	3
((iii))	हत्या और बलात्कार	302/304 – हत्या और 376-	1

		बलात्कार	
((iv))	विनम्रता का अपमान	354 – शील भंग करने के इरादे से महिला पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग	6

कृपया ध्यान दें: एफ. आई. आर. 2 में ऑफ एनसेस का एक ओवरलैप है। आगजनी, लूटपाट, घर की संपत्ति का विध्वंस:

	एस. एल. नो क्राइम	कानून की धारा (आई. पी. सी.)	मामलों की संख्या
((i))	आर्सन	436/435 -आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत (आगजनी)	4454
((ख))	लूटपाट	380 – घर में चोरी 392/397/395 400/390-डकैती, डकैती	4148 ऑफ एनसेस का ओवरलैप होता है
((iii))	घर की संपत्ति को नुकसान	427 – नुकसान पहुंचाने वाली शरारत	4694 ऑफ एनसेस का ओवरलैप होता है
((iv))	सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान	3 पी. डी. पी. पी. अधिनियम-सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली शरारत	584 ऑफ एनसेस का ओवरलैप होता है

1097

डिंगलुंग गंगमेई बनाम मुतम चुरमानी मीतेई [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] **1098**

कृपया ध्यान दें: एफ. आई. आर. 3 में ऑफ एनसेस का एक ओवरलैप है। पूजा स्थलों का विध्वंस:

एस. एल. नो क्राइम		कानून की धारा (आई. पी. सी.)	मामलों की संख्या
((i))	धार्मिक पूजा	295/295 ए-चोट	46

	स्थलों को नष्ट करना	या अपवित्र करने वाला पूजा स्थल	
--	---------------------	--------------------------------	--

4. गंभीर चोट:

एस. एल. नो क्राइम		कानून की धारा (आई. पी. सी.)	मामलों की संख्या
((i))	गंभीर चोट लगी।	325/326 - गंभीर चोट	100”

12. स्थिति रिपोर्ट में एफ. आई. आर., अपराधों की महीनेवार घटना, मामलों का पंजीकरण और मौतों और चोटों की सूचना का विवरण होता है। स्थिति रिपोर्ट निम्नलिखित डेटा प्रदान करती है:

“1	मूल अधिकार क्षेत्र के पीएस में नियमित एफ. आई. आर. के रूप में दर्ज की गई एफ. आई. आर. की कुल संख्या	4766
2	मूल रूप से शून्य प्राथमिकियों के रूप में दर्ज प्राथमिकियों की कुल संख्या	11414
3	संबंधित अधिकार क्षेत्र के पीएस को हस्तांतरित की गई ऐसी शून्य प्राथमिकियों की कुल संख्या	10382
4	संबंधित क्षेत्राधिकारों के पीएस द्वारा नियमित एफ. आई. आर. में परिवर्तित शून्य एफ. आई. आर. की कुल संख्या	6621”

13. स्थिति रिपोर्ट गवाहों की जांच, गिरफ्तारी और पीड़ितों की चिकित्सा जांच के संबंध में निम्नलिखित स्थिति को इंगित करती है: “गवाहों, एआरईएसटीएस ईटीसी की परीक्षा

(1) हत्या बलात्कार, विनम्रता का आक्रोश दर्ज किए गए गवाहों के बयानों की संख्या: 193 दर्ज किए गए 164 बयानों की संख्या: 3 गिरफ्तारियों की संख्या

: 16 चिकित्सीय परीक्षण की संख्या: 13

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

(2) आगजनी, लूटपाट, संपत्ति को नुकसान दर्ज किए गए गवाहों के बयानों की संख्या: 1366 दर्ज किए गए 164 बयानों की संख्या: 3 गिरफ्तारियों की संख्या

: 14 चिकित्सीय परीक्षण की संख्या: 6 (3) धार्मिक पूजा स्थल को नष्ट करना

दर्ज किए गए गवाह के बयानों की संख्या: 10 दर्ज किए गए 164 बयानों की संख्या: गिरफ्तारियों की संख्या शून्य हुई

: चिकित्सीय परीक्षण की शून्य संख्या: शून्य (4) गंभीर चोट

दर्ज किए गए गवाह के बयानों की संख्या: 56 दर्ज किए गए 164 बयानों की संख्या: गिरफ्तारियों की संख्या शून्य हुई

: 12 चिकित्सीय परीक्षण की संख्या: 7”

14. इस न्यायालय के समक्ष संबोधित की गई प्रस्तुतियों के दौरान, इस न्यायालय का तत्काल ध्यान आकर्षित करने वाले कुछ बुनियादी पहलू स्पष्ट हो गए हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने विशेष रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर प्रकाश डाला:

ए। सुनवाई और उपचार के लिए और हिंसा से बचे लोगों और पीड़ितों के परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के पीड़ितों के विश्वास को बहाल करने के लिए एक अदालत द्वारा अनिवार्य समिति की नियुक्ति की आवश्यकता;

बी। एक अदालत द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल 5 का गठन करना, जिसमें मणिपुर राज्य के बाहर से लिए गए विशेष पुलिस अधिकारी शामिल हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशिष्ट सी जनादेश के साथ:

5 एसआईटी 1099

डिंगलुंग गंगमेई बनाम मुतम चुरमानी मीतेई [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1100

आई. एफ. आई. आर. का पंजीकरण;

ii.दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत पीड़ितों के बयान दर्ज करना; और

iii.सी. आर. पी. सी. की धारा 164 ए के तहत पीड़ितों की चिकित्सा जांच;

ग. पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा;घ. कानूनी सहायता का प्रावधान;

ड. त्वरित सुनवाई के अधिकार को लागू करना;

च. जीवित बचे लोगों या पीड़ितों को मुफ्त और व्यापक चिकित्सा सहायता का प्रावधान;

छ. जातीय हिंसा के पीड़ितों के लिए परिवर्तनकारी और प्रतिपूरक न्याय, जिसमें शामिल हैं:

आई. राहत शिविरों में गरिमा की स्थिति सुनिश्चित करना;

ii.हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा और क्षतिपूर्ति प्रदान करना; और

iii.निवारक उपाय करना;

ज. सूचना संबंधी रिक्तता को पाटने के लिए राहत शिविरों और अन्य स्थानों पर नोडल अधिकारी नियुक्त करके सूचना के अधिकार को सुगम बनाना;आई. शवों के निपटान में गरिमा प्रदान करना; और

जे. लोक सेवकों द्वारा कर्तव्य में लापरवाही की जांच के लिए एक जांच आयोग की नियुक्ति।

15. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में इस न्यायालय के हस्तक्षेप को उचित ठहराने वाली परिस्थितियाँ इस निर्णय में पहले वर्णित अनुक्रम से स्पष्ट रूप से सामने आती हैं।मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा और संघर्ष को मीडिया में व्यापक कवरेज मिली है।इन कार्यवाहियों में केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में किए गए एफ़. आई. डेविट में कहा गया है कि:

“4. ... मांग के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर (ए. टी. एस. यू. एम.) द्वारा चलाए गए ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च के बाद आई. डी. 1 पर मणिपुर राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

मेइतेई समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना।इस मार्च के आह्वान पर मेइतेस ने जवाबी प्रतिक्रिया दी।इसके बाद मणिपुर राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की और हिंसा के परिणामस्वरूप मणिपुर के कई निवासियों की जान चली गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, आगजनी के परिणामस्वरूप उनके घरों और संपत्तियों को जला दिया गया

और उनमें से कई बेघर हो गए। इसके अलावा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और जघन्य अपराधों की घटनाएं सामने आई हैं।”

केंद्रीय गृह सचिव ने यह भी नोट किया है कि 26 जुलाई 2023 को मणिपुर सरकार ने जांच के लिए सीबीआई को दो प्राथमिकियां सौंपने की सिफारिश की थी, जिसकी सिफारिश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 27 जुलाई 2023 को की थी। केंद्र सरकार ने न्यायालय को अपनी स्थिति से भी अवगत कराया है कि न केवल जांच जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए बल्कि मुकदमा मणिपुर राज्य के बाहर भी समयबद्ध तरीके से चलाया जाना चाहिए।

मणिपुर राज्य में जाँच तंत्र द्वारा जाँच की धीमी गति उस सामग्री से सामने आई है जिसे इस न्यायालय के समक्ष रखा गया था जो इसका संकेत है:

क. हत्या, बलात्कार और आगजनी सहित जघन्य अपराधों से जुड़ी घटनाओं की घटना और शून्य एफ. आई. आर. दर्ज करने के बीच महत्वपूर्ण देरी नहीं हो सकती है।

बी. सिग्रीफी शून्य एफ. आई. आर. को उन पुलिस थानों को अग्रेषित करने में देरी नहीं कर सकता है जिनके पास घटनाओं पर अधिकार क्षेत्र है;

ग. क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थानों द्वारा शून्य प्राथमिकियों को नियमित प्राथमिकियों में परिवर्तित करने में देरी;

घ. गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी;

ई. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने में परिश्रम की कमी;

च. जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों में गिरफ्तारी की धीमी गति; और

छ. पीड़ितों की चिकित्सा जांच सुनिश्चित करने में सतर्कता की कमी।

1101

डिंगलुंग गंगमेई बनाम मुतम चुरमानी मीतेई [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1102

16. जांच प्रक्रिया में ये खामियां मणिपुर राज्य के लिए अच्छी नहीं हैं। एक त्वरित और निष्पक्ष न्याय प्रणाली के महत्व को दोहराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम जिस प्रकार की खामियों से निपट रहे हैं, वह इस न्यायालय को उनके महत्व को दोहराने के लिए प्रेरित करता है:

ए. जब शारीरिक या यौन अपराध की शिकायत की जाती है, तो बिना किसी देरी के (पीड़ित की इस तरह की जांच के लिए सहमति के अधीन) प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद पीड़ित की चिकित्सा जांच करना आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साक्ष्य के महत्वपूर्ण टुकड़ों में से एक जिसका परीक्षण में बहुत अधिक संभावित मूल्य है, वह है पीड़ित को लगी चोटों की प्रकृति और गंभीरता। उस चोट के अस्तित्व को न्यायालय की संतुष्टि के लिए साबित करना होगा। यह साबित

करने के लिए कि चोट लगी थी, इस संबंध में उचित रूप से अधिकृत एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा जांच आवश्यक है। जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, कुछ चोटें ठीक हो जाती हैं और एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए चोट की गंभीरता का सटीक आकलन करना मुश्किल होता है (और कुछ मामलों में, संभव नहीं)। पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए हथियार की प्रकृति या चोट के कारण होने वाले आघात के प्रकार पर एक राय विकसित करना भी मुश्किल है। ये पहलू मुकदमे के दौरान महत्व प्राप्त करते हैं जब आरोपी से बरामद एक हथियार पीड़ित को लगी चोट से जुड़ा हुआ पाया जा सकता है। यदि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहता है कि पीड़ित/उत्तरजीवी को लगी चोट आरोपी से बरामद हथियार का परिणाम थी, तो एक व्यक्ति जो अवैध हथियार का दोषी है, उसे अन्यायपूर्ण तरीके से बरी किया जा सकता है। इसके विपरीत, यदि पीड़ित/उत्तरजीवी को लगी चोट को गलत तरीके से आरोपी से बरामद हथियार से जोड़ा जाता है, तो एक निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से दोषी ठहराया जा सकता है। समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है जब यौन संबंध की शिकायत की जाती है। चिकित्सीय परीक्षण के परिणामस्वरूप पीड़ित/उत्तरजीवी के कपड़ों या शरीर से अभियुक्त का डी. एन. ए. बरामद हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप पीड़ित/उत्तरजीवी द्वारा दी गई प्रकृति और गंभीरता की चोटों की पहचान और रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। यह एक कारण है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164-ए के तहत बलात्कार पीड़ितों की चिकित्सीय जांच की आवश्यकता होती है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

उस समय से चौबीस घंटे के भीतर जब बख्शीश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है (पीड़ित/उत्तरजीवी की इस तरह की जांच के लिए सहमति के अधीन)। निस्संदेह, इस तरह के साक्ष्य की अनुपस्थिति से निश्चित रूप से बरी नहीं होना चाहिए। हालाँकि, अभियोजन पक्ष को ऐसे साक्ष्य से वंचित करने का कोई कारण नहीं है जिसका महत्वपूर्ण संभावित मूल्य न हो या जो कानून द्वारा निर्धारित जांच प्रक्रियाओं से विचलित हो।

बी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 164 के तहत बयान जल्द से जल्द दर्ज किए जाने चाहिए। इस तरह के बयान अक्सर सबूत की बरामदगी या आरोपी व्यक्तियों या गवाहों की पहचान की ओर ले जाते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत बयान मुकदमे के दौरान प्रासंगिकता प्राप्त कर सकता है, जहां बचाव पक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 145 के संदर्भ में एक गवाह का खंडन करने के लिए उस पर भरोसा कर सकता है।

ग. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 164 के तहत दिए गए बयानों के साथ-साथ पीड़ित की चिकित्सीय जांच से साक्ष्य की बरामदगी और प्रासंगिक तथ्यों की खोज हो सकती है, जिससे अभियोजन पक्ष आरोपी व्यक्ति (व्यक्तियों) की सही पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार

करने में सक्षम होगा। यह बदले में, मुकदमे को जल्द से जल्द शुरू करने और न्याय करने में सक्षम बनाएगा। न्याय में देरी वास्तव में न्याय से इनकार है।

घ. पुलिस के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अभियुक्त व्यक्ति की पहचान करे और उसे शीघ्रता से गिरफ्तार करे क्योंकि जाँच पूरी करने के लिए अभियुक्त व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या नष्ट करने, गवाहों को डराने-धमकाने और अपराध स्थल से भागने का प्रयास कर सकता है। किसी विशेष मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के ऐसा करने की संभावना है या नहीं, यह एक ऐसा मामला है जिसे न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना बाकी है (जमानत की कार्यवाही के दौरान, यदि कोई हो) लेकिन बिना किसी कारण के आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी में एक महत्वपूर्ण देरी इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की जा सकती है।

ई. उस व्यक्ति की पहचान करने, गिरफ्तार करने, मुकदमा चलाने और दोषी ठहराने का महत्व जो वास्तव में 1103 के लिए जिम्मेदार है।

डिंगलुंग गंगमेई बनाम मुतम चुरमानी मीतेई [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1104

कमीशन ऑफ एंस को अतिरंजित नहीं किया जा सकता है। यदि पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करती है जो वास्तव में शिकायत किए गए अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो इसके परिणामस्वरूप दो गुना अन्याय होता है: वास्तविक अपराधी को न्याय के दायरे में नहीं लाया जाता है और एक निर्दोष व्यक्ति पर अन्यायपूर्ण तरीके से मुकदमा चलाया जाता है; और

च. मुकदमे में न्यायसंगत और उचित परिणाम प्राप्त करने और हमारे देश में आपराधिक न्याय के प्रशासन में विश्वास पैदा करने और बनाए रखने के लिए एक त्वरित जांच आवश्यक है। एक त्वरित जाँच एक निवारक कार्य भी करती है जिसमें वे व्यक्ति जो उस तेजी और सटीकता को देखते हैं जिसके साथ आपराधिक न्याय प्रणाली अपराधी को दंडित करती है, उन्हें इसी तरह के अपराध करने से रोका जाएगा। अंतिम लेकिन कम से कम, एक त्वरित जांच और मुकदमा यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ितों/जीवित बचे लोगों का आघात कार्यवाही की अवधि के कारण लंबा न हो।

17. इस न्यायालय को मणिपुर में सांप्रदायिक संघर्ष के दौरान जिस तरह से महिलाओं को यौन हिंसा के गंभीर कृत्यों का सामना करना पड़ा है, उस पर अपनी पीड़ा व्यक्त करनी चाहिए। महिलाओं को यौन अपराधों और हिंसा के अधीन करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है और यह गरिमा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता के संवैधानिक मूल्यों का गंभीर उल्लंघन है, जो सभी संविधान के भाग III के तहत मुख्य मौलिक अधिकारों के रूप में संरक्षित हैं। भीड़ आमतौर पर कई कारणों से महिलाओं के खिलाफ हिंसा का सहारा लेती है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि यदि वे एक बड़े समूह के सदस्य हैं तो वे अपने अपराधों के लिए सजा से बच सकते हैं। सांप्रदायिक हिंसा के समय, भीड़ उस समुदाय को अधीनता का संदेश भेजने के लिए यौन हिंसा का उपयोग करती है जिससे पीड़ित या जीवित बचे लोग आते हैं। संघर्ष के दौरान महिलाओं के खिलाफ इस तरह की आंतरिक हिंसा एक अत्याचार के अलावा और कुछ नहीं है। लोगों को इस

तरह की निंदनीय हिंसा करने से रोकना और उन लोगों की रक्षा करना, जिन्हें हिंसा निशाना बनाती है, यह राज्य का परम कर्तव्य है-यहां तक कि इसका सबसे बड़ा कर्तव्य भी।

18. सांप्रदायिक संघर्ष ने आवासीय संपत्ति और धार्मिक पूजा स्थलों को भी बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिया है। इस पृष्ठभूमि में, यह न्यायालय अपने स्पष्ट संवैधानिक दायित्व का पालन करते हुए हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य है। इस न्यायालय की यह भी राय है कि उसका हस्तक्षेप इस तरह के अपराधों के पीड़ितों की पुनरावृत्ति न होने की गारंटी की दिशा में एक कदम होगा

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

के हकदार हैं। 6 न्यायालय को लगता है कि जो उपाय दिए गए हैं, वे सभी समुदायों को सौंपे जाएंगे और उन सभी लोगों के साथ न्याय करेंगे जो सांप्रदायिक हिंसा से (किसी भी तरह से) घायल हुए हैं। हिंसा के पीड़ितों को उनके समुदाय की परवाह किए बिना उपचारात्मक उपाय प्राप्त करने चाहिए। इसी तरह, हिंसा के अपराधियों को हिंसा के स्रोत की परवाह किए बिना जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। गवाहों के बयानों सहित गंभीर आरोप हैं जो इंगित करते हैं कि कानून लागू करने वाली मशीनरी हिंसा को नियंत्रित करने में अक्षम रही है और कुछ स्थितियों में, अपराधियों के साथ मिली हुई है। उचित जाँच के अभाव में, यह न्यायालय इन आरोपों पर तथ्य का तथ्य दर्ज नहीं करेगा। लेकिन, कम से कम, इस तरह के आरोपों के लिए एक वस्तुनिष्ठ तथ्य-कल्पना की आवश्यकता होती है। जो लोग सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें उनके पद, पद या पद की परवाह किए बिना समान रूप से हिसाब में लाया जाना चाहिए। राज्य के प्रत्येक अधिकारी या राज्य के अन्य कर्मचारी जो न केवल अपने संवैधानिक और आधिकारिक कर्तव्यों में लापरवाही के लिए दोषी हैं, बल्कि अपराधियों के साथ मिलकर खुद को अक्षम बनाने के लिए दोषी हैं, उन्हें बिना किसी असफलता के जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। यह न्याय का वादा है जिसकी संविधान इस न्यायालय और राज्य की सभी शाखाओं से मांग करता है।

19. इस पृष्ठभूमि में, दो व्यापक उद्देश्य हैं जिन्हें इस न्यायालय के निर्देशों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। सबसे पहले, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हिंसा बंद हो, हिंसा के अपराधियों को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार दंडित किया जाए, और इसके परिणामस्वरूप, न्याय प्रणाली में समुदाय का विश्वास और विश्वास बहाल हो। दूसरा, यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि कानून का शासन बहाल हो और जांच और अभियोजन प्रक्रिया में सार्वजनिक विश्वास बना रहे।

20 ऊपर बताए गए दो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

ए। एक समिति का गठन किया जाता है जिसमें निम्नलिखित तीन सदस्य होते हैं:

आई. न्यायमूर्ति गीता मित्तल, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश;

6 संयुक्त राष्ट्र, महासभा, प्रस्ताव 60/147, 'अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के सकल उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघन के पीड़ितों के लिए उपचार और क्षतिपूर्ति के अधिकार पर बुनियादी सिद्धांत और दिशानिर्देश।' 1105

डिंगलुंग गंगमेई बनाम मुतम चुरमानी मीतेई [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1106

ii. न्यायमूर्ति शालिनी फणसालकर जोशी, बंबई उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश; और

iii. न्यायमूर्ति आशा मेनन, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश।

बी। समिति का अधिदेश निम्नलिखित होगा: i. मणिपुर राज्य में 4 मई 2023 से महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा की प्रकृति के बारे में सभी उपलब्ध स्रोतों से पूछताछ करें, जिसमें जीवित बचे लोगों, जीवित बचे लोगों के परिवारों के सदस्यों, स्थानीय/सामुदायिक प्रतिनिधियों, राहत शिविरों के प्रभारी अधिकारियों और दर्ज की गई प्राथमिकियों के साथ-साथ मीडिया रिपोर्ट शामिल हैं। बलात्कार आघात से निपटने के उपायों, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने, समयबद्ध तरीके से राहत और पुनर्वास सहित पीड़ितों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदमों पर इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

iii. सुनिश्चित करें कि जीवित बचे लोगों के पीड़ितों को मुफ्त और व्यापक चिकित्सा सहायता और मनोवैज्ञानिक देखभाल प्रदान की जाए;

iv. अतिरिक्त शिविरों के लिए सुझावों सहित विस्थापित व्यक्तियों के लिए स्थापित राहत शिविरों में गरिमा की स्थिति सुनिश्चित करें। इसमें, उदाहरण के लिए, यह सुनिश्चित करना शामिल होगा कि निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा किया जाए:

ए. स्वच्छ राशन जो पर्याप्त मात्रा में हो;

ख. साबुन, पानी, टूथपेस्ट, अन्य प्रसाधन सामग्री और कपड़े जैसे आवश्यक उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति;

ग. शिशुओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की जरूरतों का ध्यान रखना;

डी. बुनियादी चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता को पूरा करना; ई. संचारी रोगों के प्रकोप पर नियंत्रण;

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

एफ. कानूनी, मनो-सामाजिक, चिकित्सा और आजीविका सेवाओं की पहुंच के बारे में जानकारी प्रदान करना;

जी. मुफ्त गर्भावस्था परीक्षण, मुफ्त आपातकालीन गर्भनिरोधक, मुफ्त सैनिटरी पैड और मुफ्त मातृ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ तक पहुंच शामिल है; एच. हीमोफीलिया, कैंसर और एचआईवी/एड्स सहित गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए आपातकालीन और विशेष चिकित्सा देखभाल;

I. राहत शिविरों में स्वच्छ शौचालयों और स्नानघरों सहित उचित स्वच्छता सुविधाएँ जो किसी विशेष राहत शिविर में रखे गए लोगों की संख्या और सीवेज और अन्य कचरे के उचित निपटान को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में हैं।

जे. आत्महत्या रोकथाम सेवाएं और हिंसा और आघात के प्रभाव का इलाज करने के लिए मनोवैज्ञानिकों/मनोचिकित्सकों द्वारा नियमित दौरे;

के. मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों और सलाहकारों द्वारा नियमित दौरे जो विशेष रूप से बच्चों और किशोरों के इलाज के लिए प्रशिक्षित हैं;

एल. यह सुनिश्चित करना कि शारीरिक और मानसिक अक्षमताओं से पीड़ित महिलाओं, बच्चों और व्यक्तियों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों तक समान पहुंच हो और एम. यह सुनिश्चित करना कि ऊपर सूचीबद्ध सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी का प्रसार किया जाए और राहत शिविरों के निवासियों के बीच जागरूकता पैदा की जाए।

हिंसा के पीड़ितों को मुआवजे और क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करना; और

vi. राहत शिविरों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्देश जारी करना और किसी भी जांच, लापता व्यक्तियों और शवों की बरामदगी के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए टोल-फ्री हेल्प लाइन का प्रावधान करना। नोडल अधिकारी को भी **1107** होना चाहिए।

डिंगलुंग गंगमेई बनाम मुतम चुरमानी मीतेई [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] **1108**

यह सुनिश्चित करें कि वे उन सभी व्यक्तियों का डेटाबेस बनाए रखें जो अपने-अपने राहत शिविरों में हैं। उन्हें एक दूसरे के साथ समन्वय करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नाबालिग और अन्य व्यक्ति जो अपने परिवारों से अलग हो गए हैं, वे जल्द से जल्द अपने परिवारों के साथ फिर से मिल जाएं।

21. इस न्यायालय द्वारा नियुक्त तीन-न्यायाधीश समिति, अपने प्रेषण के हिस्से के रूप में, निम्नलिखित सहित मुआवजे के वितरण के लिए आवश्यक कदम उठाएगी:

ए। मणिपुर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 ए, यौन हमले/अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/पीड़ितों के लिए एनएलएसए की मुआवजा योजना **2018** और मणिपुर पीड़ित मुआवजा योजना **2019** के तहत सभी पीड़ितों को पुरस्कार और मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करना;

बी। जहाँ पीड़ित की मृत्यु हो गई है, वहाँ मुआवजे के भुगतान के लिए रिश्तेदारों की पहचान की जानी चाहिए।

ग. मामले, पीड़ित/गवाह, दिए गए मुआवजे, भुगतान की तारीख और जिन व्यक्तियों को भुगतान किया गया था, उनके पूरे विवरण के साथ छह सप्ताह के भीतर इस न्यायालय के समक्ष अनुपालन की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

घ. सदस्य-सचिव एनएएलएसए गवाहों की सुरक्षा, मुआवजे और पीड़ितों के पुनर्वास और उपचार के लिए किए गए उपायों पर तीन-न्यायाधीशों की समिति के साथ मिलकर निगरानी करेगा; और

ई. मणिपुर राज्य को हिंसा से प्रभावित व्यक्तियों की चल और अचल संपत्तियों को हुए नुकसान के लिए मुआवजे का निपटान करने के लिए निर्देश जारी करना; और

च. अद्यतन स्थिति रिपोर्ट पाक्षिक आधार पर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

22. मणिपुर राज्य और केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों से जुड़ी ग्यारह प्राथमिकियां हैं।महानिदेशक द्वारा दिए गए वक्तव्य का विवरण

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

मणिपुर पुलिस, जो उसके निर्देशों के तहत न्यायालय में मौजूद थी, नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:

“एस. एल. नहीं।	एफ. आई. आर. सं. और धारा	पुलिस स्टेशन	जिला
1	एफ. आई. आर. सं. 94 (5) 2023 पी. आर. टी.-पी. एस. यू/एस. 147/148/149/302 आई. पी. सी.	पोरोमपट पीएस	इम्फाल पूर्व
2	एफ. आई आर. एन. ओ. 54 1(6)20 2 3 पी. आर. टी.-पी. यू/एस. 326/354/366 375/302/34 आई. पी. सी. एफ.	पोरोमपट पीएस	इम्फाल पूर्व

	आई. आर. नं. शून्य (65) (5) 2023 एस. के. एल. पी. एस. यू/एस. 326/354/366/3 75/302/34 आई. पी. सी.		
3	एफ. आई. आर. सं. 110 (06) 2023 एन. एस. के. पी. एस. यू/एस. 153 ए/398/427/ 436 448/302/354 364/326/34 आई. पी. सी. एफ. आई. आर. सं. शून्य (91) (5) 23 एस. के. एल. पी. एस. यू/एस 153 ए/398/427/ 436 4 48/302/354 364/326/376 34 आई. पी. सी. और 25 (1-सी) ए. अधिनियम।	नोंगपोक सेकमई पीएस	थौबल
4	एफ. आई आर. एन. ओ. 81 5(7)20 2 3 पी. आर. टी.-पी. यू/एस 354/307/364 376/376 डी/506/34 आई. पी. सी. और धारा 3 एस. सी./एस. टी. (पी. ओ. ए.) अधिनियम 1989 शून्य एफ. आई. आर. संख्या 0 (930) (7) 2023	पोरोमपट पीएस	इम्फाल पूर्व

	के. पी. आई.-पी. एस. यू/एस. 354/307/364 376/376 डी/50 6/34 आई. पी. सी. और धारा 3 एस. सी./एस. टी. (पी. ओ. ए.) अधिनियम 1989		
5	एफ. आई. आर. सं. 93 (5) 2023 पी. आर. टी.-पी. एस. यू./एस. 147/148/149/3 26/354 आई. पी. सी. कोर एसपोंडी एनजी से ज़ीरो एफ. आई. आर. सं. 00 (5) 2023 डब्ल्यू. पी. एस.- सी. सी. पी. यू/एस. आई. पी. सी., 25 (1-बी) शस्त्र अधिनियम और एस. सी./एस. टी. (पी. ओ. ए.) अधिनियम के 3 (2) (iii)	पोरोमपट पीएस	इम्फाल पूर्व
6	एफ. आई. आर. सं. 79 (5) 2023 एल. पी. एस. यू/एस. 148/149/302 आई. पी. सी. यू/एस. 143/148/427/4 36/354/34 आई. पी. सी. दर्ज की गई और फिर 18/07/2023 पर लैम्फेल-पी. एस. को हस्तांतरित की गई।	लैम्फेल पीएस	इम्फाल पश्चिम

7	एफ. आई आर. एन. ओ. 24 5(5) 2 02 3 एस. जे. एम.-पी. एस. यू/एस 147/149/3 54 427 आई. पी. सी. और 3 (आई) (आई. एक्स.) एस. सी. और एस. टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम।	सिंगजामी पीएस	इम्फाल पश्चिम
8	एफ. आई. आर. सं. 81 (5) 2023 एस. जे. एम.-पी. एस. यू/एस 354/34 आई. पी. सी. और 27 शस्त्र अधिनियम।	सिंगजामी पीएस	इम्फाल पश्चिम
9	एफ. आई. आर. सं. 499 (7) 2023 एस. जे. एम.-पी. एस. यू/एस. 143/148/506/1 24-ए/307/354/ 436/397/34 आई. पी. सी. और एस. सी. और एस. टी. (अत्याचार निवारण अधिनियम) की धारा 3 (2) (iii)। (डब्ल्यूपीएस- सीसीपी से स्थानांतरित)	सिंगजामी पीएस	इम्फाल पश्चिम
10	i) एफ. आई.	इम्फाल पीएस	इम्फाल पश्चिम

	आर. सं. 584 (7) 2023 आई. पी. एस. यू/एस 366/368/34 आई. पी. सी. और ii) एफ. आई. आर. सं. 1009 (7) 2023 एल. पी. एस. यू/एस 365/34 1 पी. सी.		
11	एफ. आई. आर. सं. 117 (6) 2023 वाई. पी. आई./पी. एस. यू./एस. 147/148/149/3 25/354 307/427/400 34 आई. पी. सी.	याईगांगपोकपी पीएस	इम्फाल पूर्व "

23. उपरोक्त ग्यारह प्राथमिकियों के अलावा, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित छह प्राथमिकियों को स्वीकार किया है:

“एस. नं.	तिथि	एफ. आई. आर. नं.
1	17.05.2023	शून्य एफ. आई. आर. 79 (5) 2023 एस. के. एल.-पी. एस.
2	14.06.2023	एफ. आई. आर. सं. 0 (680) (6) केपीआई-पीएस
3	08.06.2023	एफ. आई. आर. संख्या 00 (06) 2023 एस. के. टी.-पी. एस.
4	17.05.2023	एफ. आई. आर. सं. 146 (5) 2023 एल. पी. एस. और एफ.

		आई. आर. सं. 147 (5) 2023 एल. पी. एस.। ये दोनों प्राथमिकियां दो पीड़ितों के नेतृत्व में अलग- अलग प्राथमिकियां हैं, लेकिन एक ही घटना से संबंधित हैं।
5	21.07.2023	एफ. आई. आर. संख्या 00 (07) 2023 सी. सी. पी.-पी. एस.
6	09.07.2023	एफ. आई. आर. सं. 00 (07) 2023 सी. सी. पी.-पी. एस. "

जोमी छात्र संघ के नेतृत्व में याचिका में याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए उपरोक्त बयान की विधिवत जांच की जाएगी। यदि इन एफ. आई. आर. में सी. बी. आई. को भेजी गई एफ. आई. आर. के समान प्रकृति के मामले शामिल हैं, तो उस संबंध में दो सप्ताह के भीतर ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। इस न्यायालय को तीन सप्ताह के भीतर एक स्थिति रिपोर्ट के माध्यम से इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

25. जाँच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:

ए। जाँच प्रक्रिया की निगरानी इस न्यायालय द्वारा की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए, यह न्यायालय महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री दत्तात्रेय पडसलगीकर को सीबीआई द्वारा स्थानांतरित प्राथमिकियों की जांच और शेष प्राथमिकियों में राज्य के जांच तंत्र द्वारा जांच की निगरानी के लिए नियुक्त करता है।

बी। सी. बी. आई. को हस्तांतरित की जाने वाली प्राथमिकियों की उचित जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, केंद्रीय गृह मंत्रालय राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और एन. सी. टी. दिल्ली से कम से कम पुलिस उपाधीक्षक के पद से लिए गए सी. बी. आई. अधिकारियों के निपटान के लिए निर्देश जारी करेगा। इनमें से कम से कम एक अधिकारी महिला होनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, उपरोक्त राज्यों के पुलिस महानिदेशक सी. बी. आई. में प्रतिनियुक्ति के लिए कम से कम पुलिस उपाधीक्षक के पद के एक अधिकारी को नामित करेंगे। प्रतिनियुक्ति पर, अधिकारी

सी. बी. आई. की समग्र संरचना के तहत अपने कार्य करेंगे और जांच की निगरानी के लिए इस न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी श्री दत्तात्रेय पडसालगीकर द्वारा आवश्यक आवधिक जानकारी और रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। वे समय-समय पर उनके द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करेंगे; और

ग. श्री दत्तात्रेय पडसालगीकर से इन आरोपों की जांच करने का भी अनुरोध किया जाता है कि मणिपुर में संघर्ष के दौरान कुछ पुलिस अधिकारियों ने हिंसा (यौन हिंसा सहित) के अपराधियों के साथ सांठगांठ की थी। इस जांच को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई भी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगी। इस न्यायालय को एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

26. मणिपुर राज्य ने न्यायालय के समक्ष अपनी प्रस्तुति में संकेत दिया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राथमिकियों की जांच समयबद्ध तरीके से की जाए, निम्नलिखित एस. आई. टी. का गठन किया जाएगा:

1111

डिंगंगलुंग गंगमेई बनाम मुतम चुरमानी मीतेई [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1112

“हत्या और/या किसी अन्य जघन्य अपराध से संबंधित प्राथमिकियों के लिए, एस. आई. टी. का नेतृत्व एस. पी. के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा करने का प्रस्ताव है और ऐसे एस. आई. टी. में निम्नलिखित भी शामिल होंगे:-

आई.02 (दो) निरीक्षक

ii.06 (छह) उपनिरीक्षक

iii.12 (बारह) सिपाही।

बलात्कार, शील भंग करने और इस तरह के अन्य यौन अपराधों से संबंधित प्राथमिकियों के लिए, एस. आई. टी. का नेतृत्व एस. पी. के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा करने का प्रस्ताव है और ऐसे एस. आई. टी. में निम्नलिखित भी शामिल होंगे:-आई. कम से कम 1 (एक) महिला निरीक्षक

ii.कम से कम 02 (दो) महिला उप-निरीक्षक। कम से कम 04 (चार) महिला पीसी।

अन्य प्राथमिकियों के लिए, उप पुलिस अधीक्षक के पद से कम के अधिकारी की अध्यक्षता में एस. आई. टी. का गठन किया जाएगा। इन एस. आई. टी. की संरचना इस प्रकार होगी:आई. 02 (दो) निरीक्षक

ii.06 (छह) उपनिरीक्षक

iii.12 (बारह) सिपाही।

चुराचांदपुर, कांगपोकपी, इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, बिष्णुपुर और काकचिंग जिलों के लिए उपरोक्त संरचना के साथ प्रत्येक जिले में 06 (छह) एस. आई. टी. होंगे।

थौबल और तेंगनौपाल जिलों के लिए, उपरोक्त संरचना के साथ 3 (तीन) एस. आई. टी. होंगे।

इन एस. आई. टी. की निगरानी डी. आई. जी./आई. जी./ए. डी. जी. रैंक के एक अधिकारी द्वारा साप्ताहिक रूप से की जाएगी।

इसके अलावा, डी. जी. पी. पाक्षिक रूप से इन मामलों की निगरानी भी करेंगे।

मणिपुर पुलिस की एस. आई. टी. टीमों के कुल 42 (बयालीस) एन. ओ. एस. को इन मामलों से ध्यानपूर्वक और समय पर निपटने के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है।” 27. पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की उचित निगरानी और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

प्रतिनियुक्ति पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्यों से लिए गए पुलिस निरीक्षक के पद का एक अधिकारी उपलब्ध कराएगा। गृह मंत्रालय प्रतिनियुक्ति पर कम से कम चौदह अधिकारियों को संबंधित एस. आई. टी. के प्रभारी के रूप में नामित करेगा जो पुलिस अधीक्षक के पद से कम नहीं होंगे। मणिपुर राज्य के लिए गठित एस. आई. टी. द्वारा जांच की निगरानी और पर्यवेक्षण भी इस उद्देश्य के लिए इस न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी श्री दत्तात्रेय पदसालगीकर द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:

ए। ऐसे मामलों में जहां प्राथमिकी किसी अन्य अपराध (हत्या, गंभीर चोट आदि) के अलावा यौन अपराध (बलात्कार, महिला की शील भंग करना, आदि) से संबंधित है, एस. आई. टी. जिसमें महिला अधिकारी शामिल हैं (निरीक्षक/उप-निरीक्षक/पी. सी. जैसा कि उपरोक्त उद्धरण में मणिपुर राज्य द्वारा वर्णित है) पूरी जांच का प्रभारी होगा।

बी। एस. आई. टी. उसे सौंपे गए क्षेत्र के भीतर प्रत्येक राहत शिविर का दौरा करेगी और यह बताएगी कि यह एक निष्पक्ष निकाय है जो हिंसा (यौन हिंसा सहित) की शिकायतों को स्वीकार कर रहा है। यह आवश्यक है क्योंकि कई जीवित बचे लोग/पीड़ित अपनी मर्जी से पुलिस तंत्र से संपर्क नहीं कर सकते हैं, विशेष रूप से सांप्रदायिक हिंसा के बाद, जिसके परिणामस्वरूप परिवार के सदस्यों और घरों का नुकसान हो सकता है, विस्थापन हो सकता है, और अपने शरीर और दिमाग को आघात हो सकता है।

ग. जहां यौन अपराधों की जांच की जा रही है, एस. आई. टी. महिलाओं के पुनः आघात को रोकने के उद्देश्य से कानून के सभी निर्देशों का पालन करेगी, जिसमें धारा 161 (3) सी. आर.

पी. सी. का दूसरा परंतुक भी शामिल है। एस. आई. टी. यौन अपराधों की जांच के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेगी, जिसमें निपुन सक्सेना बनाम यूनियन ऑफ सेक्स में जारी निर्देश भी शामिल हैं।

भारत **7** और **XYZ** बनाम मध्य प्रदेश राज्य।**8**

7 (2019) 2 एससीसी 703 8 2022 आईएनएससी 799 1113

डिंगंगलुंग गंगमेई बनाम मुतम चुरमानी मीतेई [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] **1114** सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

घ. मणिपुर राज्य द्वारा गठित एस. आई. टी. में विशेष रूप से मणिपुर में झड़पों में शामिल किसी भी समुदाय के सदस्य शामिल नहीं होंगे।

ई. यदि इस न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी को डी. आई. जी. स्तर पर अधिकारियों की निगरानी के लिए किसी और सहायता की आवश्यकता होती है या अन्यथा, तो उस संबंध में एक अनुरोध आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

च. जांच की निगरानी के दौरान, श्री दत्तात्रेय पडसलगीकर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर, प्रासंगिक दंडात्मक प्रावधानों को लागू करके प्राथमिकियां दर्ज की जाएं। सचित्र रूप से, कुछ प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

भारतीय दंड संहिता **1860**

एस. नं.	अनुभाग	वर्णन
1	117	जनता द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध करने के लिए उकसाना।
2	121	भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना या युद्ध छेड़ने का प्रयास करना या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाना
3	121 ए.	अपराध करने की साजिश धारा 121 द्वारा दंडनीय है।
4	122	भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से

		हथियार आदि एकत्र करना।
5	124 ए.	राजद्रोह
6	145	गैरकानूनी सभा में शामिल होना या जारी रखना, यह जानते हुए कि इसे तितर-बितर करने का आदेश दिया गया है।
7	147	दंगों के लिए सजा
8	149	गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी है।
9	151	इसे तितर-बितर करने का आदेश दिए जाने के बाद पोंच या अधिक व्यक्तियों की सभा में जानबूझकर शामिल होना या जारी रखना।

10	153 ए.	धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना।
11	186	लोक सेवकों को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा

		डालना।
12	302	हत्या के लिए सजा।
13	324	खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुँचाना।
14	326	खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाना।
15	332	लोक सेवक को अपने कर्तव्य से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुँचाना।
16	353	लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग।
17	354	महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग।
18	354 ए.	यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए सजा।
19	354 बी.	कपड़े उतारने के इरादे से महिला पर हमला या आपराधिक बल का उपयोग।
376		बलात्कार के लिए सजा।
376(2)(जी)		साम्प्रदायिक या साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान बलात्कार के लिए सजा।
376-सी.		अधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा यौन संबंध।
376-डी.		सामूहिक बलात्कार।

21	392	डकैती के लिए सजा।
22	395	डकैती के लिए सजा।
23	436	घर आदि को नष्ट करने के इरादे से फिर से या विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत।
24	447	आपराधिक अतिक्रमण के लिए सजा।

20.

376-मृत्यु का कारण बनने या पीड़ित की निरंतर वानस्पतिक स्थिति में परिणत होने के लिए दंड।

1115

डिंगंगलुंग गंगमेई बनाम मुतम चुरमानी मीतेई [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 1116

25	456	रात में घर में घुसने या घर तोड़ने के लिए सजा।
26	457	कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात में घर में अतिक्रमण या घर तोड़ना।
27	458	चोट, हमला या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद रात में घर में घुसना या घर तोड़ना।
28	505	सार्वजनिक शरारत पैदा करने वाले बयान।
29	120 बी.	आपराधिक षड्यंत्र की सजा।

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984

एस. नं.	अनुभाग	वर्णन
1		सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली शरारत।
2		उपद्रव या विस्फोटक पदार्थ द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना।

शस्त्र अधिनियम **1959**

एस. नं.	अनुभाग	वर्णन
1	25	कुछ ऑफ एनसेस के लिए सजा।

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम **1967**

एस. नं.	अनुभाग	वर्णन
1	15	आतंकवादी कृत्य
2	16	आतंकवादी कृत्य के लिए सजा।
3	18	षड्यंत्र आदि के लिए सजा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम **1989**

एस. नं.	अनुभाग	वर्णन
1	3	अत्याचार के अपराधों के लिए सजा।

28. इस न्यायालय द्वारा नामित अधिकारी, जांच की निगरानी के दौरान, सभी उचित निर्देश जारी करेगा, जिनमें शामिल हैं:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

ए। जाँच के दौरान योग्य कानूनी सहायता प्रदान करना;

बी। जाँच को समयबद्ध बनाना;

ग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या स्वचालित प्रतिलेखन के माध्यम से, यदि आवश्यक हो, तो कमजोर गवाहों के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के तहत उचित समर्थन व्यक्तियों/सुविधा प्रदाताओं सहित धारा 161 और धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयानों की समय पर रिकॉर्डिंग;

घ. जाँच के दौरान पीड़ितों को कानूनी सहायता सलाहकार का प्रावधान; और

ई. जाँच के दौरान एकत्र की गई सामग्री की गोपनीयता का रखरखाव और इस न्यायालय को प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट में यौन हिंसा के पीड़ितों/बच्चे लोगों की गुमनामी का रखरखाव।

29. भारत संघ और मणिपुर राज्य निम्नलिखित कार्य करेंगे:

ए। यह सुनिश्चित करें कि सांप्रदायिक हिंसा और दंगों के लिए संवेदनशील सभी क्षेत्रों की पहचान की जाए और उनकी निगरानी की जाए ताकि निवारक उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

ख. मणिपुर के सभी गाँवों, कस्बों और जिलों के साथ-साथ स्थापित किए गए प्रत्येक राहत शिविर में इस न्यायालय द्वारा एस. आई. टी. के गठन और तीन-न्यायाधीशों की समिति के गठन के बारे में जानकारी का प्रसार और व्यापक रूप से प्रचार करें, जो मणिपुर के सभी निवासियों के लिए समझ में आने वाली भाषा में हो। यह जानकारी उन लोगों को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिनके पास रेडियो, समाचार पत्र की सदस्यता, स्मार्टफोन या टेलीविजन नहीं है; और

ग. राज्य के शस्त्रागारों से लापता या लूटे गए हथियारों की संख्या और इनमें से बरामद किए गए हथियारों की संख्या का जायजा लें। किसी भी लापता हथियार को बरामद करने के लिए एक योजना तैयार करें और उसे लागू करें।

1117

डिंगलुंग गंगमेई बनाम मुतम चुरमानी मीतेई [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

30. श्री दत्तात्रेय पडसलगीकर और इस न्यायालय द्वारा नियुक्त तीन न्यायाधीशों की समिति दो महीने की अवधि के भीतर इस न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें प्रगति के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। यह न्यायालय उस स्तर पर मुकदमों को मणिपुर राज्य से बाहर स्थानांतरित करने के लिए आगे के निर्देश जारी करेगा, जैसा कि आवश्यक हो और परिणामी निर्देशों के लिए।

31. 13 अक्टूबर 2023 को कार्यवाही सूचीबद्ध करें।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

निर्देश जारी किए गए।

अंकित ज्ञान

